

प्रभारी अधिकारी, आशुलिपिक विभागीय गति परीक्षा कमेटी
कार्यालय :- विशिष्ट न्यायाधीश, अजा/जजा (अ.नि) प्रकरण, पाली (राज.)
क्रमांक/सामान्य/2025/170 दिनांक :- 29/04/2025

विज्ञप्ति

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली के कार्यालय आदेश क्रमांक/सामान्य/2025/163 दिनांक 21.04.2025 द्वारा विज्ञप्ति जारी कर नियमानुसार आशुलिपिक संवर्ग हेतु विभागीय गति परीक्षा आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

अतः इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत आशुलिपिक ग्रेड तृतीय की आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु Rajasthan District Courts Ministerial Establishmet Rules, 1986 यथासंशोधित नियमों में नियम 14 Promotion (iv) के अनुसार गति परीक्षा:-

"75 words per minute in Hindi Shorthand and 8000 key depressions per hour in Hindi Typing on computer"

Or

"85 words per minute in English Shorthand and 8000 key depressions per hour in English Typing on computer"

दिनांक 10.05.2025 को सुबह 10.00 ए.एम. जिला एवं सेशन न्यायालय पाली में आयोजित की जायेगी।

न्यायक्षेत्र में पदस्थापित/कार्यरत आशुलिपिक ग्रेड तृतीय जिन्होंने नियमानुसार गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनको उक्त गति परीक्षा में अनिवार्य रूप से भाग लेना है।

संलग्न :- परीक्षा सम्बन्धित दिशानिर्देश

प्रभारी अधिकारी, 29/4/25
आशुलिपिक विभागीय गति परीक्षा कमेटी
(विशिष्ट न्यायाधीश, अजा/जजा(अ.नि.) प्रकरण,
पाली)

क्रमांक/सामान्य/2025/1620-1621

दिनांक :- 29/04/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत आशुलिपिक ग्रेड तृतीय को इस बाबत सूचित करावें एवं आशुलिपिक को सूचित करने की अभिस्वीकृति सहित सूचना इस कार्यालय को दिनांक 05.05.2025 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पाली
2. विशिष्ट न्यायाधीश, एसीडी कैसेज, पाली,
3. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाली
4. न्यायाधीश विशेष न्यायालय, पोक्सो न. 1 पाली/न. 2 पाली/न. 3 पाली
5. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, पाली
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली/सोजत/बाली/सुमेरपुर/ जैतारण/ देसूरी
7. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली
8. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, पाली (राज.)
9. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली/ (सा.द.), पाली/सोजत/जैतारण/ बाली/ सुमेरपुर/मारवाड़ जंक्शन
10. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली/सोजत/बर/ जैतारण/ मारवाड़ जंक्शन /सुमेरपुर/बाली/देसूरी/सादडी/रानी 161/2
11. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण), पाली
12. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, पाली/सं. 2, पाली/सुमेरपुर/सोजत
13. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, रायपुर
14. प्रभारी अधिकारी (ई-कोर्ट), पाली न्यायक्षेत्र की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
15. सम्बन्धित आशुलिपिक.....

प्रभारी अधिकारी,
आशुलिपिक विभागीय गति परीक्षा कमेटी
(विशिष्ट न्यायाधीश, अजा/जजा(अ.नि.) प्रकरण,
पाली)

आशुलिपिक ग्रेड तृतीय की आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु गति परीक्षा के सम्बन्ध में निर्देश

1. परीक्षा दिनांक 10.05.2025 को जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली में आयोजित की जायेगी। जिसका कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा :-
अभ्यर्थियों के उपस्थित होने का समय :- 10.00 एएम
परीक्षा प्रारम्भ का समय :- 11.00 एएम
ट्रायल का समय :- 11.00 से 11.02 एएम तक
डिक्टेसन :- 11.10 एएम से 11.15 एएम तक
अनुवाद का समय :- 11.20 एएम से 11.55 एएम तक
मध्यान्तर :- 12.00 एएम से 12.25 पीएम तक
2. गति परीक्षा :- 12.30 एएम से 12.40 एएम बजे तक प्रथम प्रश्न-पत्र 5 मिनट का डिक्टेसन होगा। प्रश्न-पत्र की डिक्टेसन देने से पूर्व दो मिनट का ट्रायल डिक्टेसन दिया जायेगा। प्रश्न-पत्र के अन्तर्गत दिये गये डिक्टेसन को 35 मिनट में अनुवाद करने का समय दिया जायेगा।
3. उसके बाद आधे घण्टे का मध्यान्तर होगा।
4. द्वितीय प्रश्न-पत्र हिन्दी टंकण गति परीक्षा का होगा जिसकी समयावधि 10 मिनट होगी। टंकण गति परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र में दिया गया गद्यांश (मैटर) यदि अभ्यर्थी ने निर्धारित 10 मिनट की अवधि से पूर्व ही पूर्ण कर लिया है, तो वह उसी गद्यांश को दोबारा टंकित कर सकेगा।
5. अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम एवं रोल नम्बर लिखना है, अन्य किसी पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखना है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम या रोल नम्बर उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका में अन्य किसी स्थान पर लिखा पाया गया, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
6. गति परीक्षा कम्प्यूटर पर निर्धारित प्रोग्राम में होगी, जिसमें Back Cut, Copy Paste, Delete इत्यादि कार्य नहीं करेंगे।
7. गति परीक्षा हिन्दी में कम्प्यूटर पर Kruti Dev10 or dev!ys 10 font में ली जायेगी।
8. परीक्षा प्रारम्भ के 15 मिनट पश्चात किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
9. परीक्षा समाप्त होने से पूर्व किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से जाने नहीं दिया जायेगा।
10. लघुशंका आदि के लिये एक बार में एक कक्ष से केवल एक ही अभ्यर्थी को जाने दिया जावे।
11. अभ्यर्थी को उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करने होंगे।

प्रभारी अधिकारी,
आशुलिपिक विभागीय गति परीक्षा कमेटी
(विशिष्ट न्यायाधीश, अजा/जजा(अ.नि.) प्रकरण,
पाली)